पर निर्धारित किया जाता है। जैसा कि सभा पटल पर रखे गये विवरण-2 से स्पष्ट हो जायेगा कि जिन राज्यों का प्रति व्यक्ति योजना व्यय सभी राज्यों के औसत से कम रहा है सामान्यतया उन्होंने स्वयं प्रति व्यक्ति कम संसाधन जुटाये हैं। [ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT—430/71]

(घ) राष्ट्रीय विकास परिषद की मुख्य मन्त्री समिति ने, जिसने चौथी पचवर्षीय योजना अवधि में केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए एक सूत्र निर्धारित किया, कुछ राज्यों के सापेक्षिक पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा। सीमान्त राज्य असम, जम्मू तथा कश्मीर एवं नागालैंड को विशेष स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या के आधार पर केन्द्रीय सहायता के 60 प्रतिशत आबटन में तथा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर 10 प्रतिशत आबंटन में, अन्य बातों के साथ, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों को लाभ पहुंचा है। सरकार ने उन राज्यों के लिए 795.23 करोड़ रुपये तक की विशेष व्यवस्था की है जहां गैर-योजना के कारण बजट सम्बन्धी अन्तराल थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सम्बन्धित राज्य चौथी योजना अवधि में अपनी योजनाओं के लिए अपने द्वारा जुटाए जाने वाले साधनों में वृद्धि कर सकें।

चौथी योजना के दौरान पिछड़े राज्यों को सहायता

2287. **श्री कमल मिश्र मधुकर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा कुल परिव्यय का 10 प्रतिशत भाग बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों को विशेष सहायता के रूप में दिये जाने की स्वीकृत नीति और निर्णय लेने के बावजूद भी उक्त राज्यों में प्रशंसनीय प्रगति होने की सम्भावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय किया है ; और

(ग) क्या सरकार महसूस करती है कि इन राज्यों के लिए 10 प्रतिशत की विशेष सहायता पर्याप्त नहीं है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चौथी योजना अवधि के दौरान बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा में कुछ मुख्य विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रत्याशित प्रगति का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दर्शाया गया है। [ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT—431/71]

यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा नियुक्त मुख्य मंत्री समिति ने जो सूत्र निर्धारित किया है उसमें इन राज्यों के विकास कार्यक्रमों के कुल परिव्यय के 10 प्रतिशत अंश की विशेष अनुदान के रूप में व्यवस्था नही की गई है। सूत्र के अनुसार केन्द्रीय सहायता के लिए उपलब्ध राशि का 10 प्रतिशत अंश उन राज्यों में बांट दिया जाना चाहिए जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से कम है। इनमें ये चारों राज्य भी सम्मिलित हैं।

(ख) राज्य योजनाओं के कार्यान्वियन के दौरान आने वाली समस्याओं के आधार पर उनमें (राज्य योजनाओं में) समय-समय पर परिवर्तन किए जाते हैं। अब सभी राज्यों की योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा की योजनाओं में परिवर्तन का विचार, यदि कोई परिवर्तन हो, इन योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन हो जाने के बाद ही किया जायेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।